:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– महावीर प्रसाद जैन आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 11/25

निर्णय दिनांकः–20.05.2026

1. श्री बापुलाल पिता अखमा रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज
2. श्रीमती नरवदा पत्नि बापुलाल रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली

वादी

बनाम

1. श्री रतना पिता जोरजी रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.
2. श्री भूमिधारी तहसीलदार चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 व 209 राजस्थान काश्तकार अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम एवं सपठित धारा 212 व 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित :– श्री गणेशलाल रोत वकील वादी

निर्णय

प्रकरण का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी गांव डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है।

यह कि वादीगण के कब्जे काश्त रिकॉर्डेड आरजी मौजा डूंगरसारण में खाता संख्या 552, खसरा नम्बर 1814/881 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8090 है0 भूमि होकर स्थित है। जिस पर आवंटन से भी पूर्व के कब्जे अनुसार काबिज होकर लगातार काश्त करते आ रहा है।

यह कि वादी को भूमि आवंटन सलाहकार समिति चिखली जिला डूंगरपुर द्वारा मौजा डूंगरसारण के खसरा नम्बर 881/212 रकबा 14 बीघा 16 बीस्वा भूमि किस्म बिलानाम में से रकबा 5 बीघा अर्थात 0.8090 है0 भूमि जरिये मीसल नम्बर 243/2002 फैसल दिनांक 04.06.2002 को आवंटन हुई है तथा आवंटन के पश्चात वादीगण को कब्जा सुपुर्द किया गया है व आवंटित खसरा नम्बर की नक्शे में तरमीम कर नामान्तरण में नक्शा दर्शित कर खसरा संख्या 1814/881 को अंकित किया गया था। वादीगण को आवंटित कुल 5 बिघा भूमि डूंगरसारण में तरमीम की गई है व आवंटन की दिनांक से वादीगण का उक्त संपूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त है। उक्त तरमीम की गई भूमि का उपयोग उपभोग एवं काश्त करते आ रहे है।

यह कि वादी आवंटन के दिनांक से ही उसे उक्त आवंटित भूमि में खेती कर रहा है। तथा भूमि में भारी रूपया व अथक परिश्रम कर भूमि को उपजाउ बनाया है प्रतिवर्ष दोनो फसल प्राप्त कर रहा है।

यह कि राजस्व विभाग द्वारा अभी कुछ समय पूर्व राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाईन किया गया है तथा समस्त खसरो के नक्शे भी ऑनलाईन किये गये है। इस कारण वादी द्वारा अपनी उक्त आवंटित भूमि का नक्शा कम्प्युटर के माध्यम से ऑनलाईन निकाला तो वादी को जानकारी हुई कि वादी को मौजा डूंगरसारण के खसरा नम्बर 1814/881 में आवंटित भूमि जिसे आवंटन आदेश में पैमुदगी में पूर्व दिशा तरफ अंकत कर दी गई है। तथा खसरा नम्बर 461/141 को पश्चिम दिशा ओर अंकित कर दिया गया है। वादी की आराजी से सटकर ही खसरा नम्बर 1623/881 प्रतिवादी की आराजी जो जबरन ही अन्दर घुसकर परेशान करता रहता है कि नक्शे में वादी की आराजी पूर्व दिशा की ओर अंकित जबकि वादी की आराजी नामान्तरण के समय के नक्शे से ही पश्चिम दिशा की ओर अंकित है। वही उसके बाद भी नक्शे से छेडछाड कर बीच में लाइन अंकित कर दी गई है। जबकि आवंटन के समय दक्षिण दिशा तरफ किसी प्रकार की लाइन अंकित नहीं थी। सेग्रीगेशन के दौरान व नक्शे से छेडछाड होने से ही नक्शे में गडबड हुई है।

यह कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबंद किये जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी मौजा डूंगरसारण में खाता संख्या 552 खसरा नम्बर 1814/881 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8090 है0 आराजी में काश्त करने में रूकावट प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेंट, परिवार व मजदुरों से करें।

यह कि वादीगण की भूमि को नक्शे में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से राजस्व कर्मियों ने गलत चित्रण कर लिया है ऐसी स्थिति में पूनः नक्शे में संशोधन कर आवंटन के समय जो नक्शे में तरमीम की गई थी उस स्थिति को कायम किया जाना आवश्यक है।

यह कि नक्शे में पुनः सही इन्द्राज नहीं किया गया तो वादी अपनी भूमि से वंचीत हो जाएगा।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। 24.09.2025 को प्रतिवादीगण बाद तामिल उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेश डामोर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जो कि अपूर्ण होने से पूनः प्रस्तुत करने हेतु मौका दिया गया। पत्रावली वास्ते पूर्ण वकालतनामा एवं जवाब प्रतिवादीगण में नियत की गई। लम्बे समय तक प्रतिवादीगण द्वारा जवाब नहीं दिया गया। दिनांक 18.03.2026 को पत्रावली पेश हुई, प्रतिवादीगण को बार–बार आवाज लगाई गई बावजुद प्रतिवादीगण अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में तहसीलदार चिखली से रिपोर्ट तलब हेतु लिखा गया एवं पत्रावाली साक्ष्य वादी में नियत की गई। 13.05.2026 को तहसीलदार चिखली से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार चिखली की रिपोर्ट अनुसार–

यह कि वर्तमान में खाता संख्या 552 खसरा नम्बर 1814/881 रकबा 0.8090 है0 किस्म सुखी तृ. में खातेदार नरवदा पत्नि बापुलाल 1/2 हिस्सा व बापुलाल पुत्र अखमा 1/2 हिस्सा सा. देह खातेदार दर्ज है।

यह कि नामांतरण संख्या 1590 दिनांक 20.12.2002 में सरकार परत फर्द व पटवार परत फर्द में अंकित नक्शे में भिन्नता है।

यह कि आवंटन फर्द व कब्जा सुपुर्दगी अनुसार भूमि पर प्रार्थी का मकान निर्मित है व प्रार्थी ही कब्जा काश्त करता आ रहा है।

वकील वादी ने साक्ष्य हेतु श्री बापुलाल के बयान लेखबद्ध करवाये–

प्रदर्श 1– नक्शा कब्जा सुपुर्दगी

प्रदर्श 2– हाल जमाबंदी

प्रदर्श 3– ऑनलाईन नक्शा

वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी को भूमि आवंटन सलाहकार समिति चिखली जिला डूंगरपुर द्वारा मौजा डूंगरसारण के खसरा नम्बर 881/212 रकबा 14 बीघा 16 बीस्वा भूमि किस्म बिलानाम में से रकबा 5 बीघा अर्थात 0.8090 है0 भूमि जरिये मीसल नम्बर 243/2002 फैसल दिनांक 04.06.2002 को आवंटन हुई है तथा आवंटन के पश्चात वादीगण को कब्जा सुपुर्द किया गया है व आवंटित खसरा नम्बर की नक्शे में तरमीम कर नामान्तरण में नक्शा दर्शित कर खसरा संख्या 1814/881 को अंकित किया गया था। वादीगण को आवंटित कुल 5 बिघा भूमि डूंगरसारण में तरमीम की गई है व आवंटन की दिनांक से वादीगण का उक्त संपूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त है। उक्त तरमीम की गई भूमि का उपयोग उपभोग एवं काश्त करते आ रहे है। राजस्व विभाग द्वारा अभी कुछ समय पूर्व राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाईन किया गया है तथा समस्त खसरो के नक्शे भी ऑनलाईन किये गये है। इस कारण वादी द्वारा अपनी उक्त आवंटित भूमि का नक्शा कम्प्युटर के माध्यम से ऑनलाईन निकाला तो वादी को जानकारी हुई कि वादी को मौजा डूंगरसारण के खसरा नम्बर 1814/881 में आवंटित भूमि जिसे आवंटन आदेश में पैमुदगी में पूर्व दिशा तरफ अंकत कर दी गई है। तथा खसरा नम्बर 461/141 को पश्चिम दिशा ओर अंकित कर दिया गया है। वादी की आराजी से सटकर ही खसरा नम्बर 1623/881 प्रतिवादी की आराजी जो जबरन ही अन्दर घुसकर परेशान करता रहता है कि नक्शे में वादी की आराजी पूर्व दिशा की ओर अंकित जबकि वादी की आराजी नामान्तरण के समय के नक्शे से

ही पश्चिम दिशा की ओर अंकित है। वही उसके बाद भी नक्शे से छेडछाड कर बीच में लाइन अंकित कर दी गई है। जबकि आवंटन के समय दक्षिण दिशा तरफ किसी प्रकार की लाइन अंकित नहीं थी। सेग्रीगेशन के दौरान व नक्शे से छेडछाड होने से ही नक्शे में गडबड हुई है। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबंद किये जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी मौजा डूंगरसारण में खाता संख्या 552 खसरा नम्बर 1814/881 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8090 है0 आराजी में काश्त करने में रूकावट प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेंट, परिवार व मजदुरों से करें। वादीगण की भूमि को नक्शे में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से राजस्व कर्मियों ने गलत चित्रण कर लिया है ऐसी स्थिति में पूनः नक्शे में संशोधन कर आवंटन के समय जो नक्शे में तरमीम की गई थी उस स्थिति को कायम किया जाना आवश्यक है।

वकील वादी ने अपनी बहस पूर्ण की। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेज, साक्ष्य एवं तहसीलदार चिखली की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः –

आदेश

तहसीलदार चिखली को मौजा डूंगरसारण में खाता संख्या 552 खसरा नम्बर 1814/881 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8090 है0 भूमि को वादी को आवंटन के समय कब्जा सुपुर्दगी में अंकित नक्शे के अनुसार शुद्धि करने हेतु निर्देशित किया जाता है, एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के लिए पाबंद किया जाता है कि वे मौजा डूंगरसारण में खाता संख्या 552 खसरा नम्बर 1814/881 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8090 है0 आराजी में वादी को काश्त करने में रूकावट न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को सरे ईज़लास सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली, डूंगरपुर

डिकरी व मुकदमें ईब्तदाई
(सिविल प्रोसिजर कोर्ड एनिन्डिक्स ए)

अज–अदालत :–उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चिखली जिला डूंगरपुर
बईजलास– महावीर प्रसाद जैन आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 11/25 निर्णय दिनांक :–20.05.2026

1. श्री बापुलाल पिता अखमा रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज
2. श्रीमती नरवदा पत्नि बापुलाल रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली

वादी

बनाम

1. श्री रतना पिता जोरजी रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.
2. श्री भूमिधारी तहसीलदार चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 व 209 राजस्थान काश्तकार अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम एवं सपठित धारा 212 व 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित :– श्री गणेशलाल रोत वकील वादी

प्रकरण में डिकी जारी की जाती है कि तहसीलदार चिखली को मौजा डूंगरसारण में खाता संख्या 552 खसरा नम्बर 1814/881 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8090 है0 भूमि को वादी को आवंटन के समय कब्जा सुपुर्दगी में अंकित नक्शे के अनुसार शुद्धि करने हेतु निर्देशित किया जाता है, एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के लिए पाबंद किया जाता है कि वे मौजा डूंगरसारण में खाता संख्या 552 खसरा नम्बर 1814/881 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8090 है0 आराजी में वादी को काश्त करने में रूकावट न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें।

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर अदालत के आज दिनांक 20.05.2026 को जारी की गई।

(महावीर प्रसाद जैन, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक
कलक्टर, चिखली

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

मुदबई	रूपया/पैसा	मद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00	स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबुते महनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
चिखली

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर